

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थागण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थागण विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1947 / 2024 गोपाल लाल चौधरी, प्रयोगशाला सहायक	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, जयपुर (राज.)। 6. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर (राज.)। 7. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर कल्याण, जयपुर (राज.)। 8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अमरसर, जयपुर।	05.06.2024	30.06.2023	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	1948 / 2024 ईश्वर लाल जाट, पशु चिकित्सा सहायक	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 4. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर (राज.)। 5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर (राज.)। 6. निदेशक, पेंशन विभाग एवं पेंशनर कल्याण, जयपुर (राज.)।		30.06.2023	
3.	1954 / 2024 रामचंद्र मालव, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज.)। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, झालावाड़, जिला झालावाड़ (राज.)। 6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।	06.06.2024	30.06.2024	श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक
4.	1955 / 2024 जयंती लाल जैन, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्था सं. 1 व 2 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर डिवीजन, उदयपुर (राज.)। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)। 5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)।		30.06.2022	

आदेश की दिनांक : 06.06.2024

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1947/2024 गोपाल लाल चौधरी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन भत्ते आदि प्रदान किये जावें और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ तथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 1 जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद से दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुआ और उसकी सेवा पुस्तिका पेंशन विभाग को भेजी गई, परंतु उसमें सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति से पूर्व दिनांक 30.06.2023 को एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है और उसे एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिये था। उनका कथन है कि ग्रेच्युटी, पेंशन एवं लीव एनकेशमेंट का लाभ दिया जा चुका है लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। जबकि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2017 को आदेश पारित किया गया है कि जो कार्मिक 30 जून को सेवानिवृत्त हुये हैं, वह एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा जाना नियम एवं विधि के विरुद्ध है। जबकि अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार माननीय ईलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पी.पी. पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) आई.एल.आर. 1 ऑल 882 वाले मामले में भी 30 जून को सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्मिक की एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर कार्मिक एक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का हकदार माना है।

इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 जिसमें कार्मिक को 30 जून को सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना उचित बताया है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन भत्ते आदि प्रदान किये जावें और समस्त सेवानिवृत्ति लाभ तथा 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत था। अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। सेवाभिलेख के अनुसार अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर एक वर्ष की सेवा पूर्ण उपरांत एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी को सेवा पुस्तिका के आधार पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त एक वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को अधिवार्षिकी आयु पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी दिनांक 30.06.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और इस प्रकार अपीलार्थी सेवानिवृत्त होने से पूर्व 01 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है और सेवा नियमों के अनुसार विभाग द्वारा एक जुलाई से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी भी एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार के मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 में पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया है :-

*"Hence, looking to the binding effect of above judgment of Hon'ble Apex Court in the case of C.P. Mundinamani (supra) and All India Judges Association (supra), it is held that the petitioners would be entitled to get the benefits of increment falling due on 1<sup>st</sup> July on account of their conduct for the requisite length of time i.e. one year. The petitioners would be entitled to get notional payment on 1<sup>st</sup> July, notwithstanding their superannuation on 30<sup>th</sup> June.*

*The respondents are directed to consider the case of the petitioners afresh in the light of the observations made hereinabove and thereafter grant notional increment to the petitioners. The petitioners pension would consequently be refixed. The appropriate orders be issued and the arrears of pension be paid to the petitioners within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order."*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत सेवानिवृत्ति होने पर एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि कार्मिक को नहीं दिया जाना अनुचित माना है। वर्तमान मामले में भी अपीलार्थी संतोषजनक सेवा पूर्ण होने उपरांत राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को एक जुलाई से देय वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि उक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी को एक माह में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के प्रकाश में नियमानुसार आगामी दो माह की अवधि में अभ्यावेदन को निस्तारित करते हुए एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित समस्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1947/2024 गोपाल लाल चौधरी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य